

18⁰²/₂₀

फ्रीडेन वसुलाय उपर है हमने फतावली का
अध्ययन किया। प्रा. पत्र 0-ने, R-11
पर स्वीकार किया जाता है। तदनुसार
वापस खातिज किया जाता है। फतावली
नम्बर से कम होकर बाद प्रति आवश्यक
दाखिल दफतर कि आवे।

क्ष

एव वरद अधिकारी
बुरोह (बचप)

